रजिस्ट्री सं० डी-(डी) 72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 11] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 7, 1975/पौष 17, 1896

No. 11] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 7, 1975/PAUSA 17, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

Cabinet Secretariat Library Govt. of India

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel & Administrative Reforms)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January 1975

S.O. 18(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government hereby specifies the following offences as the offences which are to be investigated by the Delhi Special Police Establishment, namely:—

(a) Offences punishable under section 3 of the Explosive Substances Act, 1908 (6 of 1908);

(b) Offences punishable under section 120-B of the Indian Penal Code (45 of 1860);

(c) attempts, abetments and conspiracies in relation to, or in connection with, any offence mentioned in clauses (a) and (b) and any other offence committed in the course of the same transaction arising out of the same facts.

[No. 228/1/75-AVD(II)]

मंत्रिमण्डल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1975

सा० आ० 18 (अ).—दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित अपराधों को ऐसे अपराध निर्धारित करती है, जिनका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना द्वारा किया जाना है, अर्थात् :—

(क) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 (1908 का 6) की धारा 3 के अधीन दण्डनीय अपराध ।

(ख) भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 120–बी के अधीन दण्डनीय अपराध ।

(ग) खण्ड 'क' तथा खण्ड 'ख' में उल्लिखित किसी अपराध के सम्बन्ध में या उससे सम्बन्धित प्रयत्न, दुष्प्रेरण और षडयंत्रों तथा उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न हुई वैसी ही कार्रवाई के दौरान किया गया अन्य कोई अपराध ।

[संख्या 228/1/75-ए० वी० डी० (II)]

ORDER

(Administrative Vigilance Division II)

New Delhi, the 7th January 1975

S.O. 19(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5, read with section 6, of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), and of all other powers enabling it in this behalf, the Central Government with the consent of the Government of the State of Bihar, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Bihar for the investigation of offences punishable under sections 3 and 4 of the Explosive Substances Act 1908 (6 of 1908), and sections 302, 307 and 120-B of the Indian Panel Code 1860 (45 of 1860) and attempts, abetments, and conspiracies in relation to, or in connection with, the said offences and any other offence committed in the course of the same transaction, in regard to case No. 1, dated the 2nd January, 1975, registered at the Samastipur Government Railway Police Station and case No. 1 dated the 2nd January, 1975 registered at the Samastipur Police Station in the State of Bihar.

[No. 228/1/75-AVD(II)]

R. C. MISRA, Jt. Secy.

आदेश

(प्रशासनिक सतर्कता अनुभाग II)

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1975

सा० आ० 19 (अ).—दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का तथा इस सम्बन्ध में समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्य सरकार की सहमति से केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, समस्तीपुर सरकारी रेलवे थाना में पंजीकृत

मामला नं० 1 दिनांक 2-1-1975 तथा बिहार राज्य में समस्तीपुर थाना में पंजीकृत मामला नं० 1 दिनांक 2-1-1975 के सम्बन्ध में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 (1908 का 6) की धारा 3 एवं 4 तथा भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 302, 307 तथा 120-बी के अधीन दण्डनीय अपराधों तथा उक्त अपराध के सम्बन्ध में या उससे सम्बन्धित प्रयत्न, दुष्प्रेरण और षडयंत्र तथा उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न हुई उसी कार्रवाई के दौरान किए गए अन्य अपराधों का अन्वेषण करने के लिए, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों एवं क्षेत्राधिकार का समस्त बिहार राज्य में विस्तार करती है।

[संख्या 228/1/75-ए० वी० डी० (II)]

रमेश चन्द्र मिश्र, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, NEW DELHI, 1975